राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 408/2024

कविता परेवा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सचिव चिकित्सा विभाग राज. जयपुर।
2. निदेशक चिकित्सा विभाग एवं पशुपालन विभाग जयपुर।
3. नीतू चौधरी एलएसए प्र.क्षे.प.चि. आर्दश नगर जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.02.2024
आदेश की दिनांक : 18.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश कुमार मीणा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक पशुधन के पद पर प्र.क्षे.प.चि. आर्दश नगर जयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपकेन्द्र टूमली का बास, चाकसू, जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को पूर्व पदस्थापित स्थान पर डॉक्टर प्रवीण कुमार सोनी वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी प्रभारी राजकीय प्रथम श्रेणी पशुचिकित्सालय आदर्श नगर जयपुर में हमेशा ही अपीलार्थी को गंदी नजरों से देखता था और अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक रूप से करता था लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज न आया तथा अपीलार्थी को हमेशा धमकी देता रहता था। अपीलार्थी को परेशान करने व राजनितिक द्वेषता के चलते अपीलार्थी का स्थानान्तरण पदस्थापन स्थान से 70 कि.मी. दूर कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में एक अपील 287/2023 प्रस्तुत कि गई थी जिसमें दिनांक 30.01.2023 को स्थगन आदेश पारित हुआ था जिसके चलते हुये यह स्थानान्तरण पारित हुआ है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जयपुर में भी कई

रिक्त स्थान थे। उनका स्थानान्तरण असक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

3. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को उसके प्रतिवेदन के आधार पर स्थानान्तरण किये जाने का आदेश फरमाये जावे तथा उसके कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

4. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी को माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित प्राधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों में अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 क धारा 4 (अ) के अंतर्गत अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहिए था एवं उक्त अभ्यावदेन के निस्तारण के उपरान्त ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी परंतु अपीलार्थी ने उपरोक्त प्रावधानों की पालना किये बिना सीधे ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार अथवा सक्षम अधिकारी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अंतर्गत अपने आदेश करने के विवेकाधिकार का उपयोग हेतु सक्षम है। अपीलार्थी किसी विशेष स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकारी नहीं रखता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किए जानेवाले कार्यमुक्ति/स्थानान्तरण/आदेशों की प्रतीक्षा के आदेशों पर कोई स्थानान्तरण नीति प्रभावकारी नहीं होती। पूर्व में अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में किये जाने पर माननीय न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश पर पुनः प्रथम श्रेणी आदर्श नगर जयपुर में कार्यग्रहण कर लिया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त स्थगन पर निर्णय हो चुका हैं जिसके अनुसार अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जा सकता है। वर्तमान में प्रथम श्रेणी आदर्श नगर, जयपुर में पशुधन सहायक के स्वीकृत एक पद पर दो कार्मिक कार्यरत है। अतः स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से लोकहित में विभागीय कार्य का सुचारू रूप से संचालन करने हेतु किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग के राजकीय अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक पशुधन के पद पर प्र.क्षे.प.चि. आर्दश नगर

जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

7 अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 70 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

8 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य